अनुदान संख्या 9 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5881,86,00	6681,18,00	5624,31,95	-1056,86,05
पूरक	Supplementary	799,32,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1051,52,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	721,00,00	3999,80,00	3975,87,95	-23,92,05
पूरक	Supplementary	3278,80,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,91,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹105686.05 लाख) दिसम्बर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹79932.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹105686.05 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹79932.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and constituted 16 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	19729.00	...	...	...
पु.	R.	-19729.00			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	563261.00	557639.00	557276.51	-362.49
पू.	S.	79932.00			
पु.	R.	-85554.00			

(I) ₹19741.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹19729.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹19741.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹19729.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(का) "अन्य व्यय – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹12399.00 लाख; और

(A) "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - ₹12399.00 lakhs; and

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण को अनुदान" – ₹7330.00 लाख।

(B) "Assistance to Public Sector and Other Undertaking - Grants to AAI for NE Region" - ₹7330.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "3053" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "नागरिक विमानन सुरक्षा – नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो" – ₹2134.87 लाख की बचत (₹4880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम मरम्मत कार्य किए जाने, ई–बीसीएएस निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, अधिप्राप्तियों में विलंब और एयरलाइनों से विदेशी यात्रा के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security" - saving of ₹2134.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4880.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less repair work undertaken, non-finalization of e-BCAS tender, delay in procurements and receipt of less claims towards foreign travel from airlines.

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – एयर इंडिया द्वारा नए विमानों की खरीद" – ₹92000.00 लाख की बचत (₹446950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) करार पर हस्ताक्षर करने में विलंब के कारण विशेष अतिरिक्त खंड उड़ान संचालन की पुनर्संरचना के लिए निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन करने तथा वचनबद्ध देयता को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने को स्थगित करने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Purchase of New Aircraft" - saving of ₹92000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹446950.00 lakhs) was due to shifting of schedule for reconfiguration of the Special Extra Section Flight Operation owing to delay in signing agreement and postponing of committed liability to next financial year.

(गा) "अन्य व्यय" –

(C) "Other Expenditure" -

(क) "राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान" – ₹1490.00 लाख की बचत (₹4990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और विश्वविद्यालय भवन के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Grants-in-aid to National Aviation University" - saving of ₹1490.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4990.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in construction of University Building.

(ख) "क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम" – ₹48610.67 लाख की बचत (₹89010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए एयरलाइनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Regional Connectivity Scheme" - saving of ₹48610.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹89010.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards subsidy to Airlines for providing air connectivity in North Eastern Region.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹340.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹340.00 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹50166.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3053"– "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – एयर इंडिया परिसंपत्ति

2. (I) The above savings were partly (₹50166.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹79834.00

धारण" के अंतर्गत ₹79834.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागरिक विमानन" – ₹1094.40 लाख का अधिक व्यय (₹10100.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उड़ान संचालन निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि, परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक में संशोधन, अधिवक्ताओं की कानूनी फीस तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सहायता अनुदान" – ₹7329.70 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

lakhs under Major Head "3053" - "General - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Assets Holding (SPV)".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3053" - "General" - under the following heads: -

(A) "Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - excess of ₹1094.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10100.90 lakhs) was due to increase in number of Flight Operations Inspectors, revision of remuneration of consultants, legal fees to advocates and requirement of additional funds towards GST reimbursement.

(B) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants-in-aid to AAI for NE region" - excess of ₹7329.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	72100.00			
पू.	S.	327880.00	397589.00	397587.95	-1.05
पु.	R.	-2391.00			

(I) “सामान्य” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागरिक विमानन” – ₹4914.53 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीजीसीए भवन के निर्माण में विलंब होने, ई–जीसीए परियोजना का कार्यान्वयन न होने तथा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मशीनों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) “नागरिक विमानन सुरक्षा – नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो” – ₹2097.52 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय आवास के निर्माण में विलंब होने, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरण स्थापित न किए जाने और उनकी कमीशनिंग न किए जाने तथा रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरणों की स्थापना के लिए बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4620.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2018 में “विमान सेवाएं – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – एयर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन एनएसीआईएल)” के अंतर्गत ₹229880.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) Under “General” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Direction and Administration - Director General Civil Aviation” - saving of ₹4914.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to delay in construction of DGCA Bhawan, non-implementation of e-GCA project and non-receipt of scanning electron microscope machines.

(B) “Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security” - saving of ₹2097.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to delay in construction of office accommodation at Regional Offices, non-installation and commissioning of Radiological Detection Equipments by Electronic Corporation of India Ltd. and non-receipt of bills for installation of Radiological Detection Equipments.

4. The above savings were partly (₹4620.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹229880.00 lakhs in December, 2018 under “Air Services - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Air India Limited (erstwhile NACIL)”.